न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/20/2021	2021/211	08.10.2011	26.11.2021

01—शिवशंकर वर्मा पुत्र रामस्वरूप जाति बलाई निवासी ग्राम श्यामपुरा जागीर तहसील थानागाजी जिला अलवर।

02—मुरारीलाल शर्मा पुत्र चिरंजीलाल शर्मा हाल—सचिव ग्राम पंचायत चांदपुरी पं.स. थानागाजी निवासी ग्राम लीलामंढा तहसील थानागाजी।

—निगरानीकर्ता

बनाम

01—मुरारीलाल शर्मा पुत्र मामराज शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम राजपुरा सिक्ख पो0चांदपुरी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

—अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर दिनांक 24.02.1999 एवं निरस्त किये जाने आदेश व पट्टा संख्या—001 ग्राम पंचायत चांदपुरी।

उपस्थितः—

01—श्री मुकेश कुमार शर्मा —वकील निगरानीकर्ता

02—मुनीराम यादव — अनिगरानीकार

—:निर्णयः—

वकील निगरानीकार ने ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति थानागाजी के आदेश दिनांक 24.02.1999 पट्टा संख्या 001 बुक संख्या 157 संकल्प संख्या—4 के विरूद्ध निगरानी पेश की। निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आलौच्य आज्ञा में वर्णित जायदाद मकान अप्रार्थी मुरारीलाल शर्मा पुत्र मामराज शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम राजपुरा सिक्ख पोस्ट चांदपुरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0अकेले की निजी मालियत मालिकाना वो कब्जे अधिकार की नहीं है। वर्णित जायदाद मकान अप्रार्थी मुरारीलाल शर्मा व श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी पूरणचंद शर्मा निवासी राजपुरा सिख पोस्ट चांदपुरी तहसील थानागाजी जिला अलवर के अधिपत्य व अधिकार साझे की जायदाद मकान है। आलौच्य आज्ञा में वर्णित जायदाद मकान सालिम से अप्रार्थी गैर काबिज एवं गैरवास्ता है। जिसको वर्णित जायदाद मकान सालिम पट्टा अकेले अपने हक में जारी कराने का कोई नैतिक एवं विधिक अधिकार नहीं था, लेकिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र)
अलवर (राज0)

अप्रार्थी ने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत से साजबाज होकर उक्त आज्ञा पट्टा जारी कराया गया है। आलौच्य आज्ञा अवैधानिक व क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त विवादित जायदाद मकान अप्रार्थी व श्रीमति मंजूलता शर्मा के साझे का मकान है, उक्त मकान का पट्टा नियम 266 राजस्थान एंव न्याय उप समिति नियम 1761 अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा दिनांक 24.02.1999 के अप्रार्थी के पक्ष में गैर कानूनी रूप से जारी किया गया है, जो आज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पंचायत राज0अधिनियम 1953 तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 को इकजाई कर तथा 73 वें संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसे राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल महोदय की अनुमति 23 अप्रेल 1994 को प्राप्त कर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया। उक्त अधिनियम लागू हो जाने के उपरान्त पूर्व में प्रचलित धाराओं/नियमों के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य औचित्य विहिन है। इसलिये आज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा राजस्थान पंचायत राज0अधिनियम 1994 वो राजस्थान पंचायत राज0नियम 1996 के नियम 145 से नियम 167 तक की पालना नहीं की गई। उक्त नियमों की पालना न कर साझे की परिसम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थी मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री मामराज शर्मा को प्रदत्त किया गया। इस आधार पर उक्त पट्टा अवैध है, तथा निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा रसीद संख्या 24 दिनांक 24.02.1999 के जरिये अप्रार्थी मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री मामराज शर्मा से 200/–रूपये वसूल किया गया है। उक्त रसीद संख्या 24 से प्राप्त राशि की प्रविष्टि कैश बुक पन्ना संख्या 29 दिनांक 31.03.1999 को की गई है। आलौच्य पट्टा संख्या 01 दिनांक 24.02.1999 की प्रतिपर्ण प्रति पर तत्कालीन सरपंच रामेश्वरदयाल शर्मा एंव सचिव दीनदयाल गुप्ता के हस्ताक्षरों का अभाव है। इस आधार पर उक्त पट्टा विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है, निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, जारीकर्ता सरपंच को सम्पूर्ण तथ्यों का परीक्षण कर पट्टा जारी करना चाहिये था, जो कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एंव राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में वर्णित प्रावधानों से हटकर दस्तावेज गठित हुआ है। उक्त पट्टा के संदर्भ में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई बयान लिपिवद्ध नहीं कराया गया। उक्त पट्टा जारी करते समय तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति व तहसील थानागाजी जिला अलवर द्वारा राजस्थान पंचायती राज0नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी को जारी उक्त पट्टा अवैध है, जो निरस्तनीय है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के हक में आलौच्य आज्ञा पट्टा जारी करने से पूर्व पटवारी हल्का से कोई मौंका रिपोर्ट तलब नहीं की गई, न ही स्वयं मौंका निरीक्षण किया गया। आलौच्य आज्ञा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अन्य उजरात वक्त जुवानी अर्ज किये जावेंगें। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आज्ञा ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति व तहसील थानागाजी दिनांक 24.02.1999 पट्टा संख्या 001 बुक संख्या 157 संकल्प संख्या–4 निरस्त फरमाई जावे।

ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति थानागाजी द्वारा पारित कब्जा दिनांक 24.02.1999 पट्टा संख्या 001 बुक संख्या 157 संकल्प संख्या–4 की पूर्व में मिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर

निगरानीकार को जानकारी नहीं थी। उक्त आज्ञा मिन निगरानीकार की गैर जानकारी एवं गैर मौजूदगी में पारित की गई है। इसलिये कोई जानकारी नहीं हो सकी और निगरानी अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में पेश नहीं की जा सकी, जिसमें निगरानीकार की कोई बदयान्ति नहीं है। उक्त आज्ञा की सर्वप्रथम जानकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति के पत्रांकः 4763—65 दिनांक 20.12.2018 जारी करने पर हुई । जानकारी होने पर मिन निगरानीकार ने दिनांक 26.12.2018 को आलौच्य आज्ञा की नकल के लिये प्रार्थना पत्र घोषित किया,जो नकल उसी दिन दिनांक 26.12.2018 को तैयार होकर सायंकाल प्राप्त हुई दिनांक 27.12.2018 को नकल राजकीय अभिभाषक को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो अविलम्ब निगरानी न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद निगरानी आदि तैयार कराकर आज निगरानी सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक से मिन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर आज्ञा दिनांक 24.02.1999 सर्वप्रथम जानकारी से दिनांक 20.12.2018 व उसके बाद आज तक का समय मियाद में मुजरा फरमाया जावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकार जरिये नोटिस तलब किये गये। गैर निगरानीकार जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी स्वीकार कर तहत पारित आदेश दिनांक 24.02.1999 पट्टा संख्या—01 ग्राम पंचायत चांदपुरी तहसील थानागाजी को निरस्त फरमाने का निवेदन किया। विद्वान वकील गैर निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.1999 विधि सम्मत पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। नियमानुसार रसीद जारी करते हुए निर्धारित शुल्क जमा कराया है तत्पश्चात पट्टा जारी किया गया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा—5 पर नरम रूख अपनाते हुए आलौच्य आदेश दिनांक 24.02.1999 से निगरानी प्रस्तुत करने की अवधि के समय को कन्डोन (मुजरा)किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील निगरानीकार ने निगरानी में यह तथ्य अंकित किया है कि आलौच्य आज्ञा में वर्णित जायदाद अप्रार्थी मुरारीलाल पुत्र मामराज अकेले की मिलकियत मालिकाना वो कब्जें अधिकार की नहीं है। वर्णित जायदाद मकान अप्रार्थी मुरारीलाल व श्रीमती मंजूलता पत्नी पूरण चंद शर्मा निवासी राजपुरा सिक्ख पोस्ट चांदपुरी तहसील थानागाजी के अधिपत्य व अधिकार साझे की जायदाद है। विकास अधिकारी पंचायत समिति थानागाजी की जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2018 में विकास अधिकारी ने अंकित किया है कि ग्राम राजपुरा सिक्ख में मुरारीलाल शर्मा एंव श्रीमती मंजूलता शर्मा के साझे के मकान है उक्त मकान का पट्टा नियम 266 राजस्थान पंचायत एंव न्याय उप समिति नियम 1761 अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा दिनांक 24.02.1999 को श्री मुरारीलाल शर्मा पुत्र मामराज शर्मा के पक्ष में जारी किया है, को इस आधार पर निरस्त कराया जाना अंकित किया है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 को इकजाई कर तथा 73 वे संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसे

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल महोदय की अनुमति 23 अप्रेल 1994 को प्राप्त कर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया था। उक्त अधिनियम लागू हो जाने के उपरान्त पूर्व में प्रचलित धाराओं/नियमों के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य औचित्य विहिन है। ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से नियम 157 तक की पालना नहीं की गई। उक्त नियमों की पालना न कर साझे की परिसम्पति का पट्टा मुरारीलाल शर्मा पुत्र मामराज शर्मा को प्रदत्त किया गया इस आधार पर उक्त पट्टा अवैध ठहराया जाकर निरस्त कराने योग्य है। विकास अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया है कि प्रस्तुत पट्टे के संदर्भ में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई भी बयान लिपिबद्ध नहीं कराया गया। उक्त पट्टा जारी करते समय तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा श्री मुरारीलाल पुत्र मामराज शर्मा निवासी राजपुरा सिवख को जारी पट्टा अवैध होकर निरस्त कराये जाने की अभिशंसा की है।

वकील निगरानीकार की दलीलों एंव विकास अधिकारी पंचायत समिति थानागाजी के जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2018 के आधार पर निगरानी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। तहत पारित आज्ञा दिनांक 24.02.1999 पट्टा संख्या 001 बुक संख्या 157 संकल्प संख्या–04 ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति थानागाजी निरस्त किया जाकर प्रकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य एंव सुनवाई के समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति थानागाजी को तहत रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल के कर्म होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर